भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1103

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहन

1103. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़कों पर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की संख्या कम करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को लाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, सड़कों पर चल रहे ईवी दुपहिया, चार पहिया वाहनों, माल ढुलाई वाहनों और यात्री वाहनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी, बायो-सीएनजी, एलएनजी, ईवी, जैव ईंधन, आदि जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन से चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए गैसोलीन, फ्लेक्स-ईंधन, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के साथ इथेनॉल के मिश्रण, गैसोलीन, दोहरे ईंधन, हाइड्रोजन आदि के साथ मेथनॉल के मिश्रणों के संबंध में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

2. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं: -

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 अगस्त, 2018 के साकानि 749 (अ) के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिह्न को अधिसूचित किया है, जो परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में होना चाहिए।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5333 (अ) के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन वाहनों और एथेनॉल और मेथनॉल ईंधन से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी है।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 2 अगस्त, 2021 के साकानि 525 (अ) के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साकानि 302 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों के लिए परमिट शुल्क का भुगतान किए बगैर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने की एक अधिसूचना जारी की है।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए साकानि 167 (अ), दिनांक 1 मार्च 2019 को अधिसूचित किया है और उनका अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होगा।

(vi) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जुलाई, 2019 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और साझा गतिशीलता तथा सार्वजनिक परिवहन संचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के संबंध में एक परामर्शी जारी की है।

(vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2020 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में एक परामर्शी जारी की है।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं लागू की हैं: -

(i) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) :- सरकार ने फेम इंडिया योजना के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिसूचित किया था, जिसे और बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ii) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना :- सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को अनुमोदित किया। इस योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18% तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(iii) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन प्रकोष्ठ कार्यक्रम (एसीसी) बैटरी भंडारण' - सरकार ने 12 मार्च, 2011 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को अनुमोदित किया। इस योजना में देश में 50 गीगा वाट के लिए एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत 5 गीगा वाट की विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। इन एसीसी का उपयोग बैटरी में किया जाता है, जिनका उद्देश्य ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

(ग) आरसी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र) के वाहन केन्द्रीकृत डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में पंजीकृत ईवी दो पहिया वाहनों, चार पहिया वाहनों, माल परिवहन वाहन और यात्री वाहनों की संख्या निम्नानुसार है: -

भारत में 05-02-2024 तक श्रेणी-वार पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन		
क्रम सं.	**वाहन की श्रेणी**	**कुल**
1	दोपहिया (टी)	11,807
2	दोपहिया (एनटी)	18,49,813
3	दोपहिया (अमान्य कैरिज)	117

4	तीन पहिया वाहन (टी)	16,19,638
5	तीन पहिया वाहन (एनटी)	1,538
6	मध्यम यात्री वाहन	772
7	मध्यम मोटर वाहन	31
8	मध्यम माल वाहन	31
9	हल्के यात्री वाहन	19,653
10	हल्के मोटर वाहन	1,40,008
11	चार पहिया (अमान्य कैरिज)	67
12	हल्के माल वाहन	10,436
13	भारी यात्री वाहन	6,312
14	भारी मोटर वाहन	153
15	भारी माल वाहन	542
16	ऊपर उल्लेख के अलावा अन्य	7,626
कुल		36,68,544

*****